न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर केम्प गंगापुरसिटी
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 58/16

तारीख रजू– 06/04/2016

1– बच्चूसिंह 2– शिवचरण पि0 बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम भीटोली ढाणी खारली तहसील बामनवास।

–अपीलार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार,बामनवास।

------ रेस्पो0

निर्णय

दिनांक–01/06/2016

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार,बामनवास द्वारा मिसल संख्या 190/16 मे पारित आदेश दिनांक 23/02//2016 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को ग्राम भीटोली की आराजी खसरा नम्बर 542 रकवा 0.29 हैक्टर किस्म गै0मु0बंजड पर संवत 2072 रबी मे अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने, फसल जब्त कर नीलामी करने के साथ साथ अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखा गया।

अपीलार्थी बच्चूसिंह व शिवचरण स्वंय उपस्थित हुआ। अपीलार्थीगण को सुना तो उसने अवगत कराया कि अपीलार्थीगण ने ग्राम भीटोली की आराजी खसरा नम्बर 542 रकवा 0.29 हैक्टर किस्म गै0मु0बंजड पर से अपना कब्जा हटा लिया है। मोके पर कोई कब्जा नही है तथा इस बाबत जॉच करवाने हुतु निवेदन किया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण ने भविष्य मे अतिक्रमित आराजी पर अतिक्रमण नही करने की सहमति भी जताई है तथा अतिक्रमित आराजी से कब्जा हटाने व भविष्य मे अतिक्रमित आराजी पर कब्जा नही करने बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थीगण की सजा निरस्त करने से पूर्व मोके की जॉच करवायी जावे। यदि अपीलार्थीगण का अतिक्रमित आराजी पर कब्जा नही हो तो ही सिविल कारावास की सजा निरस्त फरमायी जावे अन्यथा यथावत रखी जावे।

अपीलार्थीगण व पेरोकार सरकार को सुनने के पश्चात अतिक्रमित आराजी पर कब्जे संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार,बामनवास से तलब की गई जिसने अपनी रिपोर्ट मे अपीलार्थीगण का अतिक्रमित आराजी पर से अपना कब्जा हटा लेना व सीमाज्ञान करवाया जाकर अपीलार्थीगण को मोके पर से बेदखल किया जाना बताया है। अतः राजस्व लोक अदालत की भावना से अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा अपीलाधीन निर्णय मे अपीलार्थीगण के विरूद्व पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01/06/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
केम्प गंगापुरसिटी